बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0सं0:– 3/अ0प्र0–8–11/2025 7915 /पटना, दिनांक :– 22.7.25

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज का कार्यालय अवैध रूप से निर्धारित स्थान से अन्यत्र संचालित किये जाने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया एवं नरकटियागंज से प्राप्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–156 दिनांक–17.03.2025 के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज का समानान्तर कार्यालय बेतिया के निजी भवन में अवैध रूप से संचालित करने संबंधी आरोपों पर श्री मनीष कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–01 (अतिरिक्त प्रभार कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज) के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय ज्ञाप सं0–4586 दिनांक–25.04.2025 के द्वारा श्री कुमार से बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गई।

श्री कुमार के पत्रांक–शून्य दिनांक–20.05.2025 के माध्यम से समर्पित बचाव के लिखित अभिकथन मे यह उल्लेख किया गया कि वे कार्य प्रमंडल, बगहा–01 में पदस्थापित थे तथा दिनांक–04.10.2024 से कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज के अतिरिक्त प्रभार में थे। वे प्रायः द्वितीय पाली में कार्य प्रमंडल नरकटियागंज में बैठ कर ही कार्यालय कार्यों का निष्पादन करते रहे हैं या कार्य की अधिकता की स्थिति में बगहा–01 कार्यालय अथवा अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, कार्य अंचल, बेतिया में कार्य करते थे। बेतिया के जिस अवैध कार्यालय का जिक्र आरोप पत्र में किया गया है वह उनके संज्ञान में नहीं है और ना ही वे कभी वहाँ गये है।

श्री कुमार से प्राप्त बचाव के लिखित अभिकथन की विभागीय समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार दो कार्य प्रमंडलों यथा कार्य प्रमंडल, बगहा–01 एवं कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज के प्रभार में थे तथा उनका Operational commitments geographically stretched था। परन्तु दोनों कार्यालयों का कार्य प्रबंधन की जिम्मेवारी श्री कुमार की ही थी। जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज के कार्यालय के निरीक्षण के समय कुछ कर्मी उपस्थित थे। पुनः श्री कुमार ने स्पष्टीकरण में कहा है कि श्री राजनंदन प्रसाद, प्रधान लिपिक के द्वारा नरकटियागंज का समानांतर कार्यालय बेतिया में उनके पदस्थापन के पूर्व से चलाया जा रहा था, जिसमें उनकी संलिप्तता नहीं है और न हीं यह तथ्य उनके संज्ञान में रहा है। श्री कुमार का यह तथ्य अपने आप में विरोधाभाषी है।

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि श्री मनीष कुमार का कार्यालय प्रधान के रूप में कार्यालयों पर इनका नियंत्रण एवं प्रबंधन का अभाव रहा है।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मनीष कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–01 (अतिरिक्त प्रभार कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज) सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी को भविष्य के लिए सचेत करते हुए प्रश्नगत मामले को समाप्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

S Kumar
21/7/25
(संजय कुमार)
अवर सचिव

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

01

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः–3 / अ0प्र0–8–11 / 2025 7915 / पटना, दिनांक :– 22.7.25

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव / सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव / जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज / बगहा–01 / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 / आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री मनीष कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा–01 (अतिरिक्त प्रभार कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज) सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Kumar
21/7/25
अवर सचिव

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in